November 2011 IJRSS Volume 1, Issue 2 ISSN: 2249-2496

भ्रष्टाचार और भारत में लोकपाल की भू मका का अध्ययन

प्रा.कु.एस.आर. शवणकर
राज्यशास्त्र वभाग प्रमुख
कला वा णज्य महिला महा वद्यालय, बल्लारपूर

प्रस्तावना:

भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट या बुरा व्यवहार। प्रशासन में, इसका मतलब है क ऐसा आचरण जो प्रशासकीय सेवक से अपे क्षत नहीं है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद, भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत ने इन मुद्दों का पुरजोर वरोध कया और जीत हा सल की। ले कन भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकाल पाया है। एक वचारक, पर्सी ने तर्क दिया है क लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज भ्रष्टाचार है। भारतीय लोकतंत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिसमें राजनीतिक, आ र्थक, सामाजिक, धा र्मक आदि क्षेत्र शा मल हैं। इस लए, भारत सरकार के लए इस मुद्दे को अ धक कुशलता से संबो धत करना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के लए इसका उन्मूलन आवश्यक है।

भारत मे भ्रष्टाचार न केवल उग्र है, बल्कि प्रशासन के सभी स्तर पर है। सहायक और कनिष्ठ अ भयंता, टेलीफोन, राज्य वद्युत परिषद, जल वभाग में मध्यम और निम्न वर्ग के अ धकारी, राजस्व और आबकारी वभाग में निरीक्षक, स चवालय, क्लर्क, रेलवे के कनिष्ठ कर्मचारी मामूली और बड़ी अनिय मतताओं के लए रिश्वत स्वीकार करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार पैदा करते हैं। कई संगठनों में जूनियर अ धकारियों की दलाली है। जैसे इंजीनियरिंग वभाग में, जूनियर इंजीनियर कुल रा श का **5%** लेता है, जब क सहायक इंजीनियर **3%** लेता है और अधीक्षण अ भयंता दलाली के रूप में **2%** लेता है। आयकर वभाग में, निरीक्षक भी रिश्वत लेता है, आयुक्त भी रिश्वत लए बिना बिल पास नहीं करता है; पु लस वभाग में, कॉन्स्टेबल्स **100** रुपये से **2,000** रुपये के बीच, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर **2,000** रुपये और **10,000** रुपये के बीच चार्ज करते हैं, जब क पु लस अधीक्षक और पु लस अधीक्षक **1,000** रुपये से **20,000** रुपये के बीच। सरकारी कार्यालय में कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक क संबं धत क्लर्क रिश्वत लए बिना स्वीकृत पत्र को टाइप नहीं करता है और पोस्ट में वतरित नहीं करता है। सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है क यहां तक क प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक बैठक में भी कहते हैं क सार्वजनिक क्षेत्र में **100** रुपये में से केवल **20** रुपये लोगों पर खर्च कए जाते हैं। शेष रा श को अ धकारियों के बीच बट जाती है। लोक सेवकों में प्रकृति, आयाम, भ्रष्टाचार का प्रकार समय-समय पर बदलता रहता है। समाज में एक समय था जब भ्रष्टाचार गलत काम करने के लए कया जाता था, ले कन अब आधुनिक युग में भ्रष्टाचार सही समय पर सही काम करने के लए कया जाता है। इस शोध पत्र मे भ्रष्टाचार और भारत में लोकपाल की भू मका का अध्ययन कया गया है।यह जानने का प्रयत्न कया गया है की लोकपाल भ्रष्टाचार उन्मूलन मे क्या भू मका निभाता है और भारत मे भ्रष्टाचार का स्वरूप कैसा है।

अनुसंधान निबंध के लए प्रयुक्त अनुसंधान व ध:

वर्तमान शोध प्रबंध के लए उपयोग की जाने वाली जानकारी और तथ्यों को वषय से संबं धत व भन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों से संक लत कया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1) लोकपाल भ्रष्टाचार उन्मूलन मे क्या भू मका निभाता है इसकी खोज करना।
2) भ्रष्टाचार और भारत में लोकपाल की भू मका का अध्ययन करना।
3) भारत मे भ्रष्टाचार के बदलते स्वरुप का अध्ययन करना।
4) शोध के निष्कर्षों के आधार पर भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने हेतु सुझाव देना।

अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व:

भारत में, **1981** और **1987** के बीच, भ्रष्टाचार-रोधी अ धनियम **1947** के तहत **300** से **500** मामले दर्ज कए गए। जब **1988** में नया अ धनियम लागू हुआ, तो प्रति वर्ष **1,700** से **2,100** मामले थे। **1994** में **2,104** मामले दर्ज कए गए और **1998** में **2,817** मामले दर्ज कए गए। पंजीकृत मामलों में से केवल **70%** से **75%** व्यक्तियों के खलाफ अ भयोग दर्ज कए गए थे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले महाराष्ट्र में **16.2%**, पंजाब में **11%**, राजस्थान में **9.6%** और उड़ीसा में **9.4%** दर्ज कए गए। **1998** में, **10,163** लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। उनमें से **23.6%** दोषी पाए गए। इससे भ्रष्टाचार की प्रकृति का पता चलता है। इस बात मे कोई आश्चर्य नहीं क लोगों की उदासीनता के कारण देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। शासक वर्ग को महंगे उपहार देना आधुनिक समय में भ्रष्टाचार का सबसे आसान तरीका है। कई ठेकेदार बिल पास करने के लए ड्राई फ्रूट्स, मठाइयाँ, चाँदी के गलास को इंजीनियर या अकाउंटेंट को उपहार के रूप में देते हैं। उच्च पदस्थ पु लस अ धकारी मंत्रियों को उपहार देते हैं ता क उन्हें उनकी इच्छानुसार बदला जा सके। भारत में हर साल रिश्वत और रिश्वत बढ़ रही है। स मति की वैकल्पिक आ र्थक नीति की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, दलाली **1980-81** में **3,036** करोड़ रुपये थी, **1990-91** में **19,414** करोड़ रुपये की वृ द्ध। बेशक, एक दशक में रा श में छह प्रतिशत की वृ द्ध हुई है। भारत की इस समस्यासे निपटना समय की जरूरत है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के उद्देशसे शोध का वषय महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार की परिभाषा:

भ्रष्टाचार की निश्चित परिभाषा करना कठीण कार्य हैं। हालां क, भारतीय सं वधान का अनुच्छेद **191** भ्रष्टाचार को परिभा षत करता है, "वह रा श जो कसी व्यक्ति या कसी अन्य व्यक्ति से वेतन के अलावा कसी सरकारी कर्मचारी या उसकी नियुक्ति के बाद प्राप्त होती है जिसे भ्रष्टाचार के रूप में परिभा षत कया गया है।" अ धक सेवाएँ आदि प्रदान करने के आधार पर भ्रष्टाचार कया जाता है।

वास्तव में, भ्रष्टाचार के कई कारण हैं, जिनमें आ थक, राजनीतिक, धा मक, सामाजिक और बहुत सारे शा मल हैं।

सत्ता का दुरुपयोग, अनावश्यक धन, संचय, सरकारी नियमों और कानूनों का उल्लंघन जब एक सरकारी अ धकारी या अन्य व्यक्ति अपने स्वयं के स्वार्थ के लए करता है तो उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है।

भ्रष्टाचार और भारत में लोकपाल की भू मका:

भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त है क्यों क भारतीय राजनीति में नेता राष्ट्रीय हित की तुलना में स्वार्थ को अ धक महत्व देते हैं। ब्रिटिश शासन के बाद, भारत में मंत्रियों और नौकरशाहों का शासन था। स्वतंत्रता के बाद के शासन में, भारतीय नेताओं के बीच एक ईमानदार, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति थी। सभी नेता देश की प्रगति के बारे में सोचते थे। इस लए, देश में भ्रष्टाचार की दर बहुत कम थी । **1967** के बाद चौथे सार्वजनिक चुनाव के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राजनीतिक नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। सभी नेताओं ने निहित स्वार्थ के लए राजनीति करना शुरू कर दिया । स्वार्थी नेता अपने परिवार के सदस्यों, समूहों और रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने लगे। इस लए, सरकारी क्षेत्र में, राष्ट्रीय हित की तुलना में स्व-हित अ धक महत्वपूर्ण होता रहा । स्वार्थी राजनेताओं, नेताओं ने भी नौकरशाहों को भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने के लए प्रोत्साहित कया। इस प्रकार भारतीय प्रशासन नेताओं और नौकरशाहों के एक दुष्चक्र में फंस गया। व्यापारी भी अ धकतम लाभ कमाने की को शश मे भ्रष्टाचार करने लगे है। और सार्वजनिक क्षेत्र के अ धकारी और नौकर भी भ्रष्टाचारकरने लगे है।

भारत में भ्रष्टाचार पैदा करने के लए सरकार की आ थक नीतियां जिम्मेदार हैं। प्रशासनिक सेवा में भ्रष्टाचार व्याप्त है क्यों क राजनीतिक नेता या संबं धत मंत्री वदेशों से ह थयार, मशीनरी, यूरिया, तेल आदि आयात करने में शा मल हैं। भारत में अनुबंध प्राप्त करने के लए वदेशी व्यापारी कमीशन देते है। सरकार की इस आ थक नीति के कारण, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

अर्थव्यवस्था को भ्रष्ट सरकारी वनियमन से मुक्त करने के साथ-साथ निजीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत को आ थक सुधार के लए स्पष्ट और पारदर्शी नियमों की आवश्यकता है। मंत्रियों, निदेशक जनरलों और स चवों के एकतरफा नियमों से भ्रष्टाचार को हवा दी जा रही है। **1995** में, महाराष्ट्र में एनरॉन परियोजना ववादों में आई। क्यों क बहुत सौदेबाजी हुई और इसकी चर्चा गुप्त रही। आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब समाज में माल की कमी होती है, तो व्यापारी कीमतें बढ़ाते हैं और सरकार में वपक्ष सरकार की आलोचना करते हैं। व्यापारी वर्ग भ्रष्टाचार में लप्त होने के लए स्वतंत्र है। सरकार को अनिवार्य रूप से आपूर्ति को हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए, अन्यथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं कया जा सकता है। भारतीय समाज में नैतिकता, ईमानदारी, ब लदान आदि के आदर्श पुराने होते जा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति में नीतियां, प्रथाएं, वचार भारतीय संस्कृति में निहित हैं। धोखाधड़ी, काला बाजार, भ्रष्टाचार, घोटाले, धोखाधड़ी आदि जैसे वचार समाज में 'फैशन' बनने लगे हैं। भारतीय समाज में बदलाव भ्रष्टाचार को हवा दे रहा है।

प्रशासनिक कारणों से भारतीय समाज में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। प्रशासन में सतर्कता का अभाव, प्रशासनिक कर्मचारियों की अत्य धक शक्तियाँ, गैर-जिम्मेदाराना रवैया, गलत सूचना प्रणाली इत्यादि ने प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकना मुश्किल बना दिया है। भ्रष्टाचार के कारणों को आ र्थक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक और न्यायिक में वर्गीकृत कया जाना चाहिए। आ र्थक कारकों में उच्च जीवन शैली, मुद्रा परिसंचरण, लाइसेंस प्रणाली के साथ-साथ जीरन का लाभ लेने की प्रवृत्ति शा मल है। इस लए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सामाजिक कारणों में ईमानदारी की कमी, जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यों में वकृत मान सकता, अ श क्षत, जिज्ञासु, सांस्कृतिक गुणों, सार्वजनिक सहिष्णुता और उदासीनता के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। राजनीतिक संरक्षण, अप्रभावी राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक उदासीनता, राजनीतिक अनैतिकता, चुनावों में राजनीतिक दल को पैसा देने, राजनीतिक नेताओं के साथ अपराधी की दोस्ती आदि के कारण समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। न्यायपा लका की उदासीनता, न्यायाधीशों के बीच प्रतिबद्धता की कमी, तकनीकी कारणों से अपरा धयों को अ धक छूट देने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

भ्रष्टाचार को बढ़ाने और पद का दुरुपयोग करके, मनमाने फैसले करने और आम आदमी को परेशान करने के लए उच्च पदस्थ अ धकारियों के अति-सशक्तीकरण से भारतीय प्रशासन में वश्वास का क्षरण हुआ है। शक्तिशाली, कर्तव्यनिष्ठ और करिश्माई व्यक्ति पु लस, न्यायपा लका में नहीं जा रहे है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मलता है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है क्यों क आ र्थक और सामाजिक पछड़ापन बढ़ रहा है। लोक सेवकों, जनप्रतिनि धयों और आम नागरिकों के बीच सही तालमेल न होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नौकरशाही और प्रशासनिक देरी की गैरजिम्मेदारी ने भ्रष्टाचार के मामलों में उदासीनता ला दी है। आम जनता भी भ्रष्टाचार के खलाफ कसी भी कृत्य का वरोध नहीं कर रही है। पु लस, स चवालय, पीडब्ल्यूडी, सीमा शुल्क वभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चूं क भारतीय सामाजिक प्रणाली 'नरम' है (कठोर नहीं) कसी भ्रष्ट व्यक्ति के खलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। भारतीय समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है क्यों क भारतीय जनता भ्रष्ट व्यक्तियों के असामाजिक व्यवहार को सहन करती है।

सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जहां महत्वपूर्ण निर्णय कए जाते हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अ धकारी जमीन खरीदने, नि वदाएं स्वीकार करने, बिल पास करने, चेक जारी करने, धन में कटौती, व्यय को मंजूरी देने के रूप में भ्रष्टाचार में शा मल हैं। कई संगठनों में, अनुबंध देने के लए संबं धत प्रा धकरण को एक निश्चित रा श का भुगतान करना पड़ता है। इसके बिना, अ धकारी अनुमोदन नहीं करता है। भुगतान नहीं करने पर बिल पास नहीं होता। नतीजतन, ठेकेदार मान सक पीड़ा से ग्रस्त है। कई ठेकेदार सार्वजनिक कार्यों में कम गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग करते हैं, बड़े और झूठे बिल जोड़ते हैं और अ धक पैसा निकालते हैं और संबं धत अ धकारी को एक निश्चित रा श का भुगतान करके अपने बिल पास करते हैं। इस तरह ठेकेदारों द्वारा बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार कया जाता है।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन में 'लोकपाल 'की भू मका :

दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों ने लोकपाल के निर्माण के महत्व पर जोर दिया है। स्वीडन एक लोकपाल रखने वाला दुनिया का पहला देश था। इन संस्थानों को तब नॉर्वे, डेनमार्क, फनलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन आदि में स्था पत कया गया था। भारत में भी एक लोकपाल बनाने के कई प्रयास हुए हैं। भारत में, लोकपाल वधेयक संसद में अब तक सात बार पेश कया गया है। हालाँ क, भारतीय संसद ने अभी तक इस बिल की पुष्टि नहीं की है। लोकपाल प्रशासनिक प्रशासन और राजनीतिक मंत्रियों के साथ-साथ संसद के सदस्यों द्वारा

सरकारी प्रशासन में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके बनाए गए भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भू मका निभाता है। भारत में, कुछ घटक राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में कानून द्वारा लोकायुक्त की स्थापना की है। ले कन फर भी, इसका प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं है जितना होना चाहिए। लोकपाल के सदस्य लोकपाल अ धनियम के वरोधी हैं क्यों क इसका उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक अ धकारियों के कदाचार पर अंकुश लगाना है। यद्य प अन्ना हजारे और उनके कार्यकर्ताओं ने लोकपाल अ धनियम का मसौदा तैयार करने के लए भूख हड़ताल का सहारा लया, ले कन लोकपाल वधेयक का कानूनी आधार नहीं है।

एक लोकपाल के मूल वचार को अपनाने वाला पहला स्वीडन था। उन्होंने अदालतों या संबं धत निकायों के माध्यम से इसके लए एक लोकपाल नियुक्त कया। इस अ धकारी को न्याय का प्रथम चांसलर कहा जाता था। बाद में उन्हें ओम्बड्समैन नाम मला। यह हर **4** साल में चुना जाता है। लोकपाल सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है। स्वीडन में सामान्य शकायतों और व शष्ट वर्ग की शकायतों के लए अलग-अलग एजें सयां हैं।

संयुक्त राज्य में, कांग्रेस के पास प्रशासन और राजनीति के ऊपरी क्षेत्रों के भ्रष्टाचार की जांच स मति है। लोकपाल जैसी कोई चीज नहीं है। इसी तरह, रूस में इस संबंध में शकायतों से निपटने के लए 'प्रोक्यूरेटर' शब्द बनाया गया था। प्रशासनिक अ धकारी के कदाचार से संचा लत प्रशासन में, लोकपाल ने इस अ धकार के माध्यम से पूछताछ की, इस लए लोकपाल लोगों के करीब लगता है। इसके कारण, भारत में इस संगठन के गठन के लए अन्ना हजारे के आंदोलन को भी लोगों से अभूतपूर्व प्रति क्रया मली।

भारत में पहला लोकपाल बिल **1971** में संसद में पेश कया गया था। उससे पहले वरिष्ठ अर्थशास्त्री सी.डी. देशमुख ने पद की स्थापना के लए आवश्यकताओं को बताया था। एल म. संघवी ने संसद में एक लोकपाल स्था पत करने का मुद्दा उठाया था। उस समय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपात के कारण व्यवस्था में आम आदमी का वश्वास डगमगा रहा था। भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पी.एस. बी गजेन्द्रगढ़कर ने भी लोकपाल के पद के महत्व पर जोर दिया है। **1966** में भारत की प्रशासनिक सुधार स मति में एक लोकपाल की स्थापना के लए सफारिशें की गईं। फर **9** मई, **1968** को संसद में एक वधेयक पेश कया गया। ले कन बिल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फर **1971** में सरकार ने लोकपाल वधेयक लोकसभा में पेश कया। ले कन इसमें प्रा धकरण के कुछ वस्तार के कारण इस बार भी बिल पारित नहीं हो सका। फर **1970** में संसद में लोकपाल वधेयक पेश कया गया। सफारिश के **1971** के बिल से कई मायनों में भन्न हैं। इसमें लोकपाल के पद का अ धकार क्षेत्र बढ़ाया गया था। फर **1985** में, राजीव गांधी युग के दौरान, लोकपाल वधेयक संसद में पेश कया गया था। ले कन तब भी यह पास नहीं हो सका। उसके बाद सरकार में आए वी.पी. संह ने **1989** में वधेयक पेश कया ले कन इसे पारित नहीं कया गया। लोकपाल को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के काम पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक दल फैसला करते हैं, तो लोकपाल के गठन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ले कन सभी दलों के नेता प्रशासन में अवैध रूप से हस्तक्षेप करते दिखाई देते हैं। इस लए, कोई भी राजनीतिक दल आसानी से इसका समर्थन नहीं करता है। केंद्र सरकार खुद इस कानून को लागू करने के प्रति उदासीन दिख रही है।

लोकपाल प्रशासन में उच्च-श्रेणी के अ धकारियों की गैर-जिम्मेदारी के लए एक सख्त कानून होगा, ले कन कोई भी सरकारी कर्मचारी उसके खलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लए तैयार नहीं है। इस लए लोकपाल के निर्माण में बाधाएं देखी जाती हैं।**1966** के प्रशासनिक सुधार आयोग ने सफारिश की थी क

लोकायुक्त को प्रत्येक घटक राज्य में स्था पत कया जाना चाहिए। साथ ही, लोकपाल का पद केंद्र में होना चाहिए। सरकारी सेवकों और राजनीतिक पदा धकारियों के खलाफ शकायतों को दर्ज करने के लए घटक राज्यों के नागरिकों द्वारा लोकायुक्त की स्थापना की गई है। लोकायुक्त के पास कई तरह की शक्तियां हैं। लोकायुक्त ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के खलाफ कसी भी कदाचार के लए कार्रवाई कर सकता है। लोकायुक्त अ धकारी प्रशासन में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार, रिश्वत और गबन में संलग्न होने के लए स वल सेवा में एक अ धकारी के खलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। भारत में, दस से अ धक घटक राज्यों में लोकायुक्त का पद सृजित कया गया है, ले कन यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है क्यों क इसे बहुत कम अ धकार दिए गए हैं। महाराष्ट्र लोकायुक्त अ धनियम बनाने वाला पहला घटक राज्य है। महाराष्ट्र में, 1971 में लोकायुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त कया गया था। लोकायुक्त पांच साल के लए चुना जाता है। लोकायुक्त को पद ग्रहण करने से पहले पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है।

लोकायुक्त को प्रशासन के साथ-साथ भ्रष्टाचार और अन्याय का निवारण करना है। प्रशासन के उ चत ज्ञान के बिना, लोकायुक्त कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के बारे में उ चत निर्णय नहीं ले सकता है। इस लोकायुक्त अ धकारी को गोपनीय तरीके से राज्य में मामलों की जांच करनी है। शकायत करने वाले व्यक्ति और शकायत करने वाले व्यक्ति का ववरण गोपनीय रखा जाना चाहिए। इस तरह के मामलों को मी डया से दूर रखना पड़ता है क्यों क मी डया के अनैतिक हस्तक्षेप से मामले को रोकने की धमकी दी जाती है। यदि प्रासं गक वषय सार्वजनिक महत्व का है, तो संबं धत मामलों को सार्वजनिक कया जाता है। आज भारत मे सशक्त लोकपाल की जरूरत है।

निष्कर्ष:

अध्ययन में पाया गया क, भारत में भ्रष्टाचार के निर्माण के पीछे कई कारण हैं। भारत में अज्ञानता भी भ्रष्टाचार का एक कारक है। इसी समय, प्रशासन के कामकाज में वृ द्ध, नैतिक मूल्यों में गरावट और वेतन के असमान वतरण के साथ-साथ पार्टी फंड, मर्चेंट क्लास रेड टेप, आदि के माध्यम से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भारत के समग्र वकास के लए कई योजनाएं और कार्यक्रम तैयार कए गए। जिससे स्वाभा वक रूप से प्रशासन की प्रकृति का वस्तार हुआ। अतः नौकरशाही ने प्रशासन में भ्रष्टाचार नामक दोष को पैदा कया है। इस लए नौकरशाही तानाशाही तरीके से व्यवहार करने लगी। इस लए आम लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है। इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया है। समाज में एक व्यक्ति के पास कतना पैसा है। यह अपनी सामाजिक स्थिति बनाता है इस लए कुछ लोग अवैध रूप से धन जमा करके समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार होता है।

भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लए, केंद्रीय जाँच आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक पु लस जाँच दल ने भ्रष्ट मंत्रियों और उच्च पदस्थ अ धकारियों को दं डत करने में असहाय साबित हुये है। सीबीआई अ धकारियों पर राजनीतिक दबाव के कारण भ्रष्ट मंत्रियों की निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती है। इस कारण सी.बी.आई. की भू मका सी मत है। लोकपाल और लोकायुक्त इन मंत्रियों को दं डत कर सकते हैं। भारतीय

समाज अकेले पु लस की निगरानी पर भरोसा नहीं कर सकता। इ स लए भारत मे सशक्त लोकपाल की जरूरत है।

सुझाव:

1) भ्रष्टाचार के खलाफ जनमत बनाने के लए और भ्रष्टाचारियों के असली रूप को बेनकाब करना चाहिए।

2) चुनावी प्रणाली में प्रमुख सुधार करके धन के दुरुपयोग को रोकना चाहिए।

3) न्यायपा लका को कार्यपा लका के हस्तक्षेप से मुक्त करके और आपरा धक तत्वों को दं डत करके भ्रष्टाचार को कम कया जा सकता है।

4) लोकपाल जैसी संस्थाओं का निर्माण करना है।

5) राजनीतिक और प्रशासनिक अ धकारियों के लए एक आचार संहिता को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तैयार कया जाना चाहिए।

6) सरकारी कर्मचारियों को उनके काम के अनुपात में भुगतान कया जाना चाहिए ता क वे भ्रष्टाचार के शकार न हो।

7) सतर्कता आयोग **(CVC)** जैसी संस्थाओं का गठन कया जाना है।

8) केंद्रीय अपराध जांच **(CBI)** जैसी संस्थाओं को अपने काम में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस तरह के उपायों के माध्यम से प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मटाया जा सकता है और इसके कार्यान्वयन को कम करके इसकी तीव्रता को कम कया जा सकता है।

ग्रंथ सूची:

1) एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था - स वल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्ष हेतु,संस्करण प्रथम

2) मीन रॉय इलेक्टोरल, इलेक्शन प्रोसेस एण्ड आउटकम्स वोटिंग बिहे वयर एण्ड पा लटिक्स इन इण्डिया कस्ट टेण्डस, दीप एण्ड दीप, दिल्ली- **2000**

3) अजना बनर्जी , इलेक्टोरल सस्टम्स, ग्लोबल वजन पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली- **2008**

4) एम आहुजा एल, जनरल इलेक्शन इन इं डया इलेक्टोरल पॉ लटिक्स, इलेक्टोरल रिफार्मस एण्ड पा लटिकल पार्टीज, आईकन पब्लिकेशन्स, दिल्ली- **1999**

समाचार पत्र: नवभारत, लोकमत, टाइम्स ऑफ इं डया

वेबसाइट:

- *https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2*
- *https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0*
- *http://www.unnati.org/pdfs/vicharVol.16No.3H.pdf*